



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadur shah Zafar Marg
New Delhi-110002

सार्वजनिक सूचना


मि. सं. 1-1/2011 (सीपीपी-II)

1 अक्टूबर, 2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2012 (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहभागिता के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) दिनांक: 21 सितम्बर, 2013 को मुद्रित भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये हैं। इन विनियमों का विवरण यूजीसी वेबसाइट: www.ugc.ac.in पर दर्शाया गया है। संक्षेप में इनमें निम्न सम्मिलित है:-

- 1 इन विनियमों के अनुसार, भारतीय शैक्षिक संस्थानों के साथ सहभागिता एवं जुड़वाँ रूप से व्यवस्था हेतु केवल ऐसे विदेशी संस्थानों को ही अनुमति होगी जिन्हें उनके अपने स्वदेश में सर्वोच्च ग्रेड से प्रत्यायित किया गया है। ऐसी सहभागिता की अनुमति केवल उन्हीं भारतीय शैक्षिक संस्थानों के साथ ही होगी जिन्हें संस्थागत प्रत्यायन की दृष्टि से न्यूनतम 'बी' अथवा इसके समतुल्य ग्रेड द्वारा प्रत्यायित किया गया है अथवा जो पाठ्यक्रमों के विषय में यथास्थिति प्रत्यायन के आधारगत स्तर पर हैं।
- 2 ऐसा कोई भी भारतीय अथवा विदेशी शैक्षिक संस्थान जिसकी सहभागी व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है, वह संस्थान, इन विनियमों के, लागू किये जाने की छः माह की अवधि के भीतर, उनका अनुपालन करेगा।
- 3 किसी भी विदेशी अथवा भारतीय शैक्षिक संस्थान के मध्य, किसी भी रूप में अभिव्यक्त कोई भी ऐसी सहभागिता युक्त व्यवस्था जो कि इन विनियमों के उल्लंघन में होगी, उसे "अनाधिकृत सहभागिता" घोषित किया जाएगा तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- 4 कोई भी विशेषाधिकार युक्त व्यवस्था—चाहे किसी भी रूप जानी जाती हो—जो कि एक विदेशी अथवा भारतीय शैक्षिक संस्थान के मध्य है—तो इन विनियमों के अंतर्गत उसकी अनुमति नहीं होगी।
- 5 इन विनियमों की अधिसूचना के अनुसार कोई भी विदेशी अथवा भारतीय शैक्षिक संस्थान, आयोग की निश्चित अनुमति के बिना, डिग्रीयों एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सहभागिता के माध्यम से प्रदान करने के लिए भारत में अपनी शैक्षिक गतिविधि स्थापित अथवा संचालित नहीं करेगा।
- 6 किसी भी भारतीय एवं विदेशी संस्थान/संस्थानों के मध्य सहभागिता व्यवस्था के विषय में उठने वाले विवाद को भारतीय कानून द्वारा नियमित किया जाएगा।

इन विनियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता का कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया है।


(अखिलेश गुप्ता)
सचिव